हरियाणा ने 'गोरख धंधा' शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राज्य सरकार द्वारा राज्य में किसी भी आधिकारिक संचार में '**गोरख धंधा**' शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की गई है।

प्रमुख बिंदु

- इस अधिसूचना के बाद अब राज्य में किसी भी राजभाषा, भाषण या किसी भी संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित हो गया है।
- उल्लेखनीय है कि गोरखनाथ समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से 'गोरख धंधा' शब्द के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह करते हुए कहा था कि **यह संत गोरखनाथ के अनुयायियों की भावनाओं को आहत करता है।**
- इसी क्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अगस्त महीने में अनैतिक प्रथाओं का वर्णन करने के लिये आमतौर पर इस्तेमाल किये जाने वाले 'गोरख धंधा' शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी।
- विदित हो कि **गुरु गोरखनाथ या गोरक्षनाथ नाथ योगी के एक संत थे।** इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और अनेक ग्रंथों की रचना की। **गोरखनाथ जी का मंदिर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर में स्थित है। गोरखनाथ के नाम पर इस ज़िले का नाम गोरखपुर पड़ा है।** गोरखनाथ के शिष्य बाबा भैरौंनाथ थे, जिनका वध माता वैष्णोदेवी ने किया था।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/haryana-issues-notification-banning-use-of-word-gorakh-dhandha